का॰ज्ञ॰ सं॰ 12024/2/92-रा॰भा॰ (ख-2)-3, दिनांक 21.7.1992

विषय:— संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चौथे खण्ड में की गई सिफारिशें राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन एवं उनकी बैठकें।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, अनिवार्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए और कार्यालयाध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए। समिति की यह सिफारिश मानते हुए सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12019/10/91-रा॰भा॰ भा॰ दिनांक 28-1-1992 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित किया जा चुका है।

2. राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 29-1-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11015/26/73-रा॰भा॰ द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जिन कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों की संख्या 25 या इससे अधिक हो, उनमें राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई जाएं और अन्य कार्यालयों में समितियां बनाई जाएं या नहीं, इस संबंध में मंत्रालय/विभाग स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

3. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में अब सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टाफ की संख्या 25 से अधिक हो या कम, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन कराए और संबंधित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष का इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए।

4. इसी के साथ-साथ समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से कम छः बैठकों का आयोजन किया जाए अथवा जाना व्यावहारिक नहीं है। अतः यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। फिर भी सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने यहां एवं अपने सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों आदि में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित कराएं।

5. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें। इस संबंध में जारी किए गए निदेशों की प्रतिया इस विभाग को भी भिजवाने का कष्ट करें।